1

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 11/2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. नरसिंहराम पुत्र पुकाराम जाति मेघवाल निवासी गुड़ा कलां तह0 सोजत जिला पाली।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 05/05/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम गुड़ा कलां तहसील सोजत में प्रार्थी के खसरा नंबर 744/1 रकबा 0.5000 है0 में आवागमन हेतु सिवायचक कृषि भूमि ख.नं. 740/1214 रकबा 0.2000 किस्म बा0दो0 में से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना कानुनन आवश्यक व न्यायसंगत हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र मय शपथ—पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि के खसरा नंबर 744/1 रकबा 0.5000 है0 में आवागमन हेतु सिवायचक कृषि भूमि ख.नं. 740/1214 रकबा 0.2000 है0 किस्म बा0दो0 में से नया रास्ता दिलवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर आज जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/211 दिनांक 18.02.2025 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 गुड़ा कलां, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी ख.नं. 744/1 में आवागमन हेतु राजकीय सिवायचक ख.नं. 740/1214 किस्म गै0मु0 बा0अ0 में से चाहा हैं। ख0नं0 757 किस्म गै0मु0 सेरीया से ख0नं0 740/1214 में से होकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 744/1 में आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई × चौड़ाई = 115 × 4 = 460 वर्गमीटर अर्थात 0.0460 है0 हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 234000/– रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (234000/– रू0 × 2 × 0.0460 है0 = 21528/– रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 740/1214 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत गुड़ा कलां की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी तथा तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि सरहद मौजा गुड़ा कलां के खसरा नंबर 744/1 में आवागमन हेतु सिवायचक कृषि भूमि ख.नं. 740/1214 में से नया रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत रास्ते दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया हैं।

उप खण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 गुड़ा कलां, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु राजकीय सिवायचक भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जिससे निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 740/1214 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

—: **आदेश** :—

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गुड़ा कलां के खसरा नंबर 744/1 में आवागमन हेतु सिवायचक कृषि भूमि ख.नं. 740/1214 में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि (234000/— रू0 × 2 × 0.0460 है0 = 21528/—रूपये प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैः—

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	740/1214 बा0अ0	0.20 है0	राजस्थान सरकार	115 मी0× 4 मी0 = 0.0460 है0	21528/—रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)